फाइनल स्टेज पर पहुंची रिदम गरबा महोत्सव की तैयारियां

जबलपुर, नवभारत। रिदम गरबा महोत्सव 2.0 की प्रैक्टिस में प्रतिभागियों का उत्साह दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। वे हर दिन मुख्य समारोह के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। ग्रुप के संचालक विकास पांडे ने बताया कि प्रतिभागियों द्वारा ड्रेसेज की खरीदारी की जा चुकी है, इसके साथ ही पुरुषों और महिलाओं का ग्रूमिंग सेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। प्रतिभागियों का कहना है कि गरबा उनके लिए सुनहरे दिनों की याद में मनाया जाने वाले एक खूबसूरत त्योहार बन चुका है। एम जी जी मैरिज पैलेस दमोहनाका में हर शाम गुजराती गीतों और ढ़ोलक की थाप सुनाई दे रही है। प्रतिभागियों को गरबे का बेसब्री से इंतजार है। नवभारत रिदम गरबा महोत्सव 2.0 का आयोजन 27 सितंबर से किया जाएगा। जिसको लेकर हर प्रतिभागी में डांडिया महोत्सव को लेकर खासा उत्साह दिख रहा है। प्रैक्टिस के दौरान पार्टिसिपेंट्स रील्स को वायरल ट्रेंडिंग सॉन्ग्स पर वायरल करते दिखे।

26 को फाइनल प्रैक्टिस

नवभारत रिदम गरबा महोत्सव के मुख्य समारोह के लिए काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। इसके लिए 26 सितम्बर को एम जी जी मैरिज पैलेस दमोहनाका में फाइनल प्रैक्टिस होगी, वही 27 सितम्बर को मुख्य आयोजन होगा।

इनका कहना है

हमारी पूरी तैयारी यही है कि 27 और 28 सितंबर को होने वाले नवरात्रि रिदम 2.0 के इस भव्य आयोजन में किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी न हो। हमारे माननीय अतिथि और परिजन पूरे आनंद के साथ कार्यक्रम का हिस्सा बनें, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। आयोजन की हर छोटी-बड़ी व्यवस्था पर बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है ताकि हर शख्स को एक यादगार अनुभव मिल सके।

विकास पांडे, ऑर्गेनाइजर एवं डायरेक्टर

नवरात्रि रिदम 2.0 हमारे लिए सिर्फ़ एक आयोजन नहीं बल्कि लोगों के लिए खुशी और उत्साह का उत्सव है। हम प्रयासरत हैं कि कार्यक्रम में आने वाले सभी दर्शकों और प्रतिभागियों को बेहतरीन माहौल मिले। भीड़ की व्यवस्था से लेकर हर स्टेप तक, हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस बार का आयोजन पिछले साल से भी ज्यादा खास और मजेदार हो। हमारा लक्ष्य है कि हर प्रतिभागी गरबा करते हुए भरपूर आनंद ले।

वसु मरावी, ऑर्गेनाइजर

नवरात्रि रिदम 2.0 की तैयारियों का आज तीसरा दिन है और लगातार तीन दिन से हमारे प्रतिभागी पूरे जोश और मेहनत के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे कोरियोग्राफर और उनकी टीम दिल से मेहनत कर हर कदम सिखा रहे हैं। प्रतिभागियों के चेहरे पर उत्साह और खुशी देख कर लगता है कि इस बार का गरबा निश्चित ही और भी शानदार होगा।

राहुल सक्सेना, ऑर्गेनाइजर

अष्टमी के पूर्व पेंचवर्क के कार्य पूर्ण कराने निगमायुक्त ने झोंकी ताकत, पूरे अमले को फील्ड में उतारा

जबलपुर। नवरात्रि पर्व को दृष्टिगत रखते हुए निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने शहर की सभी प्रमुख मार्गो और जुलूस मार्गो पर पेंचवर्क के कार्यो के लिए पूरी ताकत झोंककर लोककर्म विभाग के पूरे अमले को फील्ड पर लगाया है। इस संबंध में निगमायुक्त श्री अहिरवार ने बताया कि अष्टमी के पूर्व पेंचवर्क के कार्य पूर्ण कराने के उद्देश्य से लोककर्म विभाग के सभी अधिकारियों कर्मचारियों और ठेकेदारों को लगाया गया है, ताकि पेंचवर्क के कार्य समय के पूर्व पूर्ण हो सके और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की

असुविधा न हो सके। निगमायुक्त ने पेंचवर्क के कार्यो के साथ-साथ गौशाला, अग्नि शमन विभाग, स्वास्थ्य और हॉगा गैंग के कार्यो की भी समीक्षा की तथा अधिकारियों से शहर में संचालित अवैध डेरियों की जानकारी के साथ-साथ डेरियों में संधारित मवेशियों की जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।उन्होंने शहर में आवारा सुअरों और श्वानों पर भी कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा नागरिकों को राहत प्रदान करने की दिशा में निर्देश दिये। इस अवसर पर अधीक्षण यंत्री कमलेश श्रीवास्तव, स्वास्थ्य अधिकारी सुश्री अंकिता बर्मन, फायर अधीक्षक कुसाग्र ठाकुर, सहायक अधीक्षक राजेन्द्र पटेल, तकनीकि अधिकारी बालेन्द्र शुक्ला, अंकुर खरे, आदि उपस्थित रहे।

1 लाख के ऊपर बकाया, बकायादारों को नोटिस

जबलपुर। नगर निगम द्वारा निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देशानुसार राजस्व वसूली की कार्यवाही तेज कर दी है। निगम द्वारा अपने सभी संभागों से सम्पत्तिकर वसूली करने धारा 173 एवं 174 के अंतर्गत नोटिस बकायादारों को जारी किये जा चुके हैं। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार द्वारा लगातार राजस्व विभाग की समीक्षा की जा रही है। समीक्षा बैठक में पाया गया कि 1 लाख रूपये से अधिक की राशि बकाया होने पर भी करदाताओं द्वारा राशि जमा नहीं की जा रही है।

शहर में अवैध कॉलोनी काटने वालों को जेल भेजने का प्रावधान करने महापौर ने शासन से की मांग

छोटी लाईन फाटक से गौरीघाट तक सड़क बनाने रेलवे से जमीन दिलाने समेत अन्य मांग

16 नगरीय निकायों की विभागीय बैठक भोपाल में हुई आयोजित

जबलपुर। भोपाल में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के मंत्री कैलाश विजय वर्गीय की अध्यक्षता में प्रदेश के सभी नगरीय निकायों की विभागीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी के साथ मध्यप्रदेश शासन के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय दुबे, नगर निगम जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू के साथ 14 और नगर निगमों के महापौर, आयुक्त और अन्य अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। बैठक में महापौर श्री अन्नू ने जबलपुर नगर निगम में चल रहे विकास कार्यो की जानकारी देते हुए प्रस्तावित कार्यो को भी पूर्ण कराने के लिए राशि की माँग की। महापौर ने बैठक के प्रारंभ में एक प्रस्ताव दिया कि शहर में अवैध कॉलोनी काटने वालों के लिए जेल भेजने का प्रावधान करने की आवश्यकता है ताकि इसपर रोक लग सके। उन्होंने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर लगने वाले 7 प्रतिशत आश्रय शुल्क को एक तिहाई करने की माँग के अलावा छोटी लाईन फाटक से गौरीघाट तक एक सुन्दर सड़क का निर्माण कराने के लिए रेलवे से जमीन दिलाने के लिए भी शासन से माँग की। बैठक के दौरान महापौर ने नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री कैलाश विजय वर्गीय से यह भी आग्रह किया कि नगर निगम जबलपुर को मुद्रांक शुल्क बहुत देरी से मिलता है और उसमें भी कटौती कर ली जाती है। महापौर ने बिना कटौती किये प्रतिमा मुद्रांक शुल्क नगर निगम जबलपुर को प्रदान करने की माँग रखी। महापौर श्री अन्नू ने बैठक के दौरान नगर निगम जबलपुर को मिलने वाली चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि में से कटौती न करने और नगर निगम की सभी सम्पत्तियों का सीमांकन कराने के लिए भी माँग की और विकास कार्यो को और अधिक गति प्रदान करने आर्थिक सहयोग की माँग भी की।

प्रोडक्शन वारंट के बावजूद रज्जाक को पेश न करने पर मांगा जवाब

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट जारी होने के बावजूद भी हिस्ट्रीशीट अब्दुल रज्जाक को सीजेएम कोर्ट में पेश किये जाने पर एसपी से जवाब तलब किया है। जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस एके सिंह की युगलपीठ ने उक्त मामले में एसपी को आज हलफनामा पेश करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई कल 25 सितंबर को निर्धारित की है। यह मामला हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज्जाक की ओर से दायर किया गया है। जिसमें आरोप है कि वह 26 अगस्त 2021 से न्यायिक हिरासत में है। आरोप है कि व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता के कारण उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई पूर्व कैबिनेट मंत्री व मौजूदा विधायक के इशारे पर की जा रही है। याचिका में मौजूदा विधायक के नाम का खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि यह कहा गया है कि कोर्ट के पूछने पर नाम बता दिया जाएगा। इतना ही नहीं आरोप है कि उसके पूरे परिवार के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। उसके पक्ष में जारी की गई माइनिंग की सारी लीज कैंसिल कर दी गईं। साथ ही उसके घर को गिराने का नोटिस भी जारी कर दिया गया। आरोप यह भी है कि एक मामले में जमानत मिलते ही वह जेल से बाहर आने की तैयारी कर रहा होता है, तभी उसे किसी और मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है।